न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64 / 2019

1 छाजुराम पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी बाढ़वाली तन हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 जयदयाल पुत्र भाताराम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा पो0 टीब्बा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मामराज पुत्र सल्लाराम जाति बड़वा निवासी हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।
3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 25.07.2019
बसिलसिले मुकदमा अनुवानी मामराज बनाम
छाजुराम आदि प्रार्थना पत्र संख्या 137 / 2019
अपील अ0 धारा 225 राज.का.अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—21.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम हरजनपुर तहसील नीमकाथाना की भूमि गत खसरा नम्बर 237/3/2 हाल खसरा नम्बर 351 के सन्दर्भ में स्थगन जारी करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा गलत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा विधिक रूप से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 325 का सीमाज्ञान कराया गया है। जिसमें सड़क को उत्तर की तरफ ही बताया गया है। गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। राजस्व विभाग एवं सैंटलमेंट द्वारा नक्शा सही बनाया गया है। पक्षकारान मौके पर खातेदारी के अनुसार ही काबिज चले आ रहे है। इसकी पुष्टि पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2015 से भी होती है। विचारण न्यायालय ने इस रिपोर्ट का कोई विवेचन नही किया है। पत्रावली में नजरी नक्शा साक्ष्य में पठनीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1275, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1144, आर.आर.डी. 2006 पेज 761 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज तरमीम एवं मौके की विरोधाभाषी स्थिति को लेकर विवाद है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर